पत्रावली ... अदालत हेतु चयन
किया गया, ... को नोटिस
जारी हो पत्रावली दिनांक 22-5-18
केम्प टाकरवाडा को पेश हो।

22/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प टाकरवाडा में पेश हुई। वादी नं0 1 धनराज मजमें आम में उपस्थित। वादी को मजमें आम में सुना गया। वादी ने कथन किये कि मेरें पिता चतुर्भुज के खातें की भूमि ग्राम नरपतखेडी स्थित ख0नं0 171 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 174 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 177 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.06 हे0 पुश्तेनी स्थित है, जो मेरें दादा से प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 की पहली प्त्नी बादाम की संतानें है, किन्तु मेरें पिता द्वारा मेरी मां व वादीगण को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वादीगण की माता की मृत्यु हो गयी और दोनों वादीगण को उनकी ताई काली बाई ने पालापोषा और शिक्षा, शादी आदि करवाये। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण की

वादीगण चतुर्भुज की पहली पत्नि के वारिसान हैं तथा चतुर्भुज द्वारा दूसरी शादी की है जिससे चार वारिसान ... इसलिए दोनों पत्नियों की ... पहली पत्नि के वारिसान को ... हिस्सा दिया जावेगा।

नि. अ. ...
w/o ... नरपतखेडी

परमानन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुश्तेनी भूमि को बैचान करके सीताबाई जो प्रतिवादी नं0 1 की अवैधानिक पत्नी है, उसके नाम करवाना चाहते है। जिसका प्रतिवादी नं0 1 को अधिकार नही है। अतः विवादित आराजी पुश्तेनी होनें से वादीगण को अपनें पिता प्रतिवादी नं0 1 की भूमि में सहखातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में वादी द्वारा किये गये कथनों की जानकारी करनें पर ज्ञात हुआ कि वादीगण चतुर्भुज की पहली पत्नी की संतोनें है तथा वर्तमान में चतुर्भुज द्वारा एक अन्य महिला के साथ ही निवास कर रहा है तथा वादीगण को अपनें पास नहीं रखता है। पक्षकारान् को मजमें आम में सुने जानें के उपरान्त, मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। विवादित आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी है जो वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीगण प्रतिवादी नं0 1 की संतान है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विवादित आराजी पुश्तेनी प्रमाणित है, जो प्रतिवादी नं0 1 को अपनें पिता से प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार योग्य है। लिहाजा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नरपतखेडी स्थित ख0नं0 171 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 174 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 177 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.06 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के निहित हिस्से 1/2 में वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प टाकरवाडा

उनवान

1. धनराज पुत्र चतुर्भुज
2. कलावती पुत्री चतुर्भुज जाति बारेठ निवासीगण नरपतखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र मनोहर जाति बारेठ निवासी बलकारा, देवनारायण मंदिर के पास तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 87/15

यंह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नरपतखेडी स्थित ख0नं0 171 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 174 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 177 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.06 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के निहित हिस्से 1/2 में वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner